5. Kautilya's Saptang theory : कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत

अर्नेस्ट बार्कर का यह कहना कि भारत का प्राचीन काल राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मरूभूमि है और प्राचीन भारत ने विश्व को केवल आध्यात्म दर्शन ही दिया है बिल्कुल निरर्थक या गलत है। 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज ने इस अवधारणा का पूर्णतया खण्डन कर दिया ~~तथा अब यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन भारत केवल अध्ययन में ही नहीं अपितु समाज और व्यवहार में भी किसी प्रकार से पीछे नहीं था~~। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान सबसे ऊँचा है और उसे शासन तथा कला, कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। कौटिल्य का जन्म लगभग 400 ई० पू० भारत के तक्षशिला में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य देखने में जितना कुरूप था बुद्धि में उतना ही अधिक विलक्षण था। उसके ख्याति के दो प्रमुख कारण थे - उसने नंद वंश का समूल नष्ट कर अपने शिष्य चन्द्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया तथा उसने 'अर्थशास्त्र' नामकी एक पुस्तक की रचना 321-400 ई० के पूर्व के बीच की।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और आज के अर्थशास्त्र के अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। आज का अर्थशास्त्र सम्पत्ति के उत्पादन, विनिमय और वितरण, उपभोग से है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के दो मुख्य उद्देश्य -- प्रथम शासक किस प्रकार पृथ्वी या राज्य की रक्षा कर सकता है तथा द्वितीय- यह शास्त्र इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि किस प्रकार शासक नई भूमि या पृथ्वी को अपने आधिपत्य में ला सकता है।

राज्य के तत्व या सप्तांग सिद्धांत — Saptang theory.

प्राचीन भारत में राज्य के सावयव रूप का उल्लेख मिलता है। उस समय के विद्वान राज्य को एक सजीव प्राणी मानते थे। मनु, भीष्म और शुक्र जैसे प्राचीन मनीषियों के द्वारा भी राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जाग्रत शरीर के रूप में की गयी है जिसके सात अंग होते हैं। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों को मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया है, "इस शरीर रूपी राज्य में राजा सिर के समान, अमात्य आँख है, सुहृत कान है, कोष मुख है, बल मन है, दुर्ग हाथ हैं और राष्ट्र पैर हैं।" इसी प्रकार कौटिल्य ने राज्य के सात आवश्यक तत्व बताए हैं। इसे वह राज्य की प्रकृति भी कहता है और राज्य के अंग भी। राज्य के सात अंगों के कारण ही उसका राज्य की प्रकृति सम्बंधी सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के प्रथम अध्याय में राज्य के सात अंगों का उल्लेख किया है वे हैं - स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। सप्तम तत्व मित्र दूसरे राज्य का राजा होता है जो विजयाभिलाषी राजा के साथ मित्रता के सूत्र में बंधा रहता है एवं युद्ध के समय उसकी सहायता करता है। मित्र राज्य के आंतरिक संगठन के सदस्य नहीं हैं। आंतरिक संगठन की दृष्टि से राज्य के मुख्य छः ही तत्व हैं इन छः तत्वों

17

की व्याख्या कौटिल्य ने प्रशासन के व्यावहारिक दृष्टिकोण से की है। कौटिल्य ने राज्य के इन सात अंगों का विशद विवेचन भी किया है :–

(i) स्वामी (Swami) – राज्य के सप्तांगों में स्वामी अथवा राजा का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी या राजा राज्य का केंद्र और प्रधान होता है। राज्य की सफलता राजा के चारित्रिक गुण एवं नीति पर निर्भर करती है। यद्यपि कौटिल्य जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से भी परिचित है, तथापि वह राजतंत्रात्मक शासन-प्रणाली का ही प्रबल समर्थन करता है। वस्तुतः कौटिल्य के राज्य में राजा ही शासन की धुरी है। उसके अनुसार राजा को कुलीन, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, विवेकी, दूरदर्शी, कृतज्ञ, दृढ़-निश्चयी, उत्साही, धैर्यवान, युद्धकला में चतुर, अदीर्घसूत्री आदि होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। राजा को पूर्ण रूप से शिक्षित भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अशिक्षित राजा का कुल भी स्वतः नष्ट हो जाता है। राजा को दीन, वृद्ध, अपंग आदि की सहायता करनी चाहिए एवं विपत्ती के समय प्रजा का निर्वाह करना चाहिए। उसे अपने कोष की वृद्धि पर भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए।

(ii) अमात्य (Amatya) – ~~राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व अमात्य है।~~ राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व अमात्य है। अमात्य के अंतर्गत सिर्फ मंत्री ही नहीं, अपितु सब प्रकार के शासनाधिकारी, शासन विभाग के अध्यक्ष एवं राज्य के अन्य कर्मचारी आते हैं। कौटिल्य ने कहा है कि राजा मंत्रियों एवं कर्मचारियों के बिना सुचारू रूप से शासन का संचालन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसी प्रकार सिर्फ राजा से राज्य नहीं चल सकता है।

कौटिल्य के अनुसार राजा की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, राज-पुरोहित एवं अन्य मंत्री आते हैं। राजा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करे जो कुलीन, बुद्धिमान, उत्साही, प्रभावशाली, स्नेही, पवित्र, आचरणवाला, कष्टसहिष्णु, शीलवान, आरोग्यवान, धैर्यवान और गर्वरहित हो। राज-पुरोहित के लिए यह आवश्यक है कि वह कुलीन, सदाचारी, सभी वेदों एवं व्याकरणादि का ज्ञाता, दंडनीति (राजनीति) आदि शास्त्रों में निपुण एवं मंत्रों द्वारा किसी भी प्रकार की विपत्तियों को हटा देने के उपाय जानने वाला हो। राजा को पुरोहित को पूज्य मानकर उसका अनुसरण करना चाहिए।

कौटिल्य के अनुसार राज्य के आकार एवं सामर्थ्य के अनुसार ही मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। मंत्रियों की संख्या के विषय में जहाँ तक मनु के 12, बृहस्पति ने 16, शुक्राचार्य ने 20 मंत्रियों का सुझाव दिया है, वहाँ कौटिल्य ने कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की है।

अमात्यों का कार्य राजा को परामर्श देना, कृषि सेतु-निर्माण कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करना, राज्य की रक्षा के लिए उपाय सोचना, नये स्थानों में गाँव बसाना एवं उसका विकास करना तथा राजकीय कर की वसूली करना है।

Scanned with CamScanner

(iii) जनपद (Janpad) - जनपद से तात्पर्य सिर्फ भू-प्रदेश से नहीं, बल्कि राज्य के निवासी या जनसंख्या से भी है। कौटिल्य के शब्दों में, "जनता के अभाव में जनपद की कल्पना नहीं की जा सकती है जनपद के बिना राज्य का भी अस्तित्व असंभव हो जाएगा"

कौटिल्य का जनपद गाँव, संग्रहण, खार्वटिक, द्रोणमुख एवं निगम में बँटा हुआ है। भू प्रदेश के उपजाऊ भाग में एक या दो कोसों के अंतर पर गाँव बसाने चाहिए। पाँच सौ परिवारों को मिलाकर गाँव का निर्माण होना चाहिए। दस गाँव को मिलाकर संग्रहण नामक एक बड़ा गाँव बसाना चाहिए। दो सौ गाँवों के बीच खार्वटिक नामक नगर विशेष होना चाहिए। चार सौ गाँवों के मध्य में द्रोणमुख नामक उपनगर विशेष एवं आठ सौ गाँवों के मध्य में स्थानीय (निगम) नामक नगर बसाना चाहिए।

एक उत्तम जनपद के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो, खेती योग्य उपजाऊ भूमि हो, घने जंगल हों, यातायात के लिए विकसित जलमार्ग एवं स्थल मार्ग हों, कृषि की सुविधा के लिए सिंचाई का समुचित प्रबन्ध हों, नदियां, पशुधनों, खनिज पदार्थों आदि की भी बहुलता हो।

जनपद में केवल प्रदेश ही नहीं, वहाँ के निवासी भी सम्मिलित हैं; कौटिल्य ने निवासियों का परिश्रमी एवं स्वामिभक्त होना चाहिए। प्रसन्नतापूर्वक स्वेच्छा से कर देना चाहिए।

(iv) दुर्ग (Durg) - कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्ग अतिआवश्यक है। जनपद में स्थान-स्थान पर दुर्गों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे शत्रुओं के आक्रमण से राज्य की रक्षा संभव हो सके। कौटिल्य ने दुर्ग चार प्रकार बतलाए हैं औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धान्वन दुर्ग, वन दुर्ग।

जल से घिरे किसी स्वाभाविक द्वीप या गहरी खुदी हुई खाई से परिवेष्टित स्थान को औदक दुर्ग कहा जाता है। बड़ी-बड़ी चट्टानों, पर्वत-श्रेणियों एवं कंदराओं से घिरा दुर्ग पर्वत दुर्ग कहलाता है। जल तथा घास आदि से हीन ऊसर प्रदेश में बना हुआ दुर्ग धान्वन दुर्ग कहलाता है तथा यह ऐसे मरुस्थलीय प्रदेश में बना होता है कि वहाँ तक पहुँचना शत्रु के लिए कठिन होता है। बीहड़ जंगलों एवं काँटेदार झाड़ियों से परिवेष्टित दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है।

औदक दुर्ग एवं पर्वत दुर्ग शत्रु के आक्रमण से राज की सुरक्षा में सहायक होते हैं तथा धान्वन एवं वन दुर्ग आपत्ति के समय भागकर राजा इन दुर्गों की शरण लेकर आत्मरक्षा कर सकता है।

(v) कोष (Kosh) - राज्य के प्रत्येक कार्य के लिए धन अत्यावश्यक है। कोष के द्वारा ही सेना का भरण-पोषण किया जा सकता है एवं सैनिकों को सन्तुष्ट कर राजा उनकी भक्ति और श्रद्धा को पा सकता है। कोष में प्रचुर सोना-चाँदी, बहुमूल्य रत्नादि और नकद सिक्के का रहना आवश्यक है। कोष का संग्रह धर्मपूर्वक एवं न्यायसंगत विधि से होना चाहिए।

(vi) दंड (Dand) - दंड का अर्थ सेना है। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल ये चतुरंगिणी सेनाएँ आती हैं। जिसके पिता, पितामह आदि सेना में रहे हों, उन्हीं लोगों को सैनिक बनाना चाहिए। सेना में अधिकांशतः क्षत्रियों को ही लिया जाना चाहिए क्योंकि वे वीर, निर्भीक एवं युद्धविद्या में निपुण होते हैं।

सैनिकों को स्वामीभक्त होना चाहिए उन्हें सैदा राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राज्य की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। राजा को भी सैनिकों के परिवारों की सुख-सुविधा पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। शत्रु पर चढ़ाई के समय सैनिक की सुख-सुविधा के लिए आवश्यक भोग वस्तुओं को जुटाना राजा का कर्तव्य होता है।

(vii) मित्र (mitra) - कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति के लिए तथा आपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। इसका मत है कि मित्र ऐसे हों जो पितृ-पितामह के क्रम से चले आ रहे हों। मित्रों का कुलीन, दुविधाशून्य, महान एवं अवसर के अनुसार उपयोगी होना भी आवश्यक है।

सप्तांग सिद्धांतों की आलोचना (Criticisms of Saptang theory) —

ⓐ आलोचकों का कहना है कि आधुनिक युग में राज्य के आवश्यक तत्व - सम्प्रभुता, सरकार, जनसंख्या और प्रदेश हैं, परन्तु कौटिल्य ने इनका वर्णन नहीं किया है। परन्तु यदि हम गहराई से देखें तो पायेंगे कि स्वामी में सम्प्रभुता, अमात्य में सरकार, जनपद में जनसंख्या और प्रदेश सम्मिलित हैं। उनके भाव वही हैं।

ⓑ कौटिल्य ने दुर्ग, कोष, सेना और मित्र को राज्य का आवश्यक अंग माना है। आलोचकों का कहना है कि इनके बिना भी राज्य का अस्तित्व बना रह सकता है। सेना के अभाव में कोई राज्य समाप्त नहीं हो जायेगा। निःसंदेह दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के अभाव में राज्य का अस्तित्व हो सकता है परन्तु ऐसा शायद ही कोई राज्य हो जिसमें यह न हो और वह स्थायी रहा हो।

ⓒ राज्य के सप्तांग सिद्धान्त से हमें राज्य के शरीर सिद्धान्त का आभास मिलता है, आलोचकों के अनुसार राज्य को एक शरीर बताना अनुचित है।

ⓓ कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत केवल राजतन्त्रात्मक शासन के आवश्यक तत्वों का ही वर्णन करता है। इसमें प्रजातंत्र की पूर्णतया उपेक्षा की गयी है। प्रजातंत्र में सम्प्रभुता का वास कहाँ होगा।

विभिन्न अंगों का सापेक्षिक महत्व :—

कौटिल्य ने सातों अंगों के सापेक्षिक महत्व पर प्रकाश डाला है। आधुनिक राज्य के लिए भी संगत प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, राज्य जैसी अमूर्त धारणा को स्पष्ट, निश्चित और मूर्त करने में कौटिल्य जितना सफल रहा है

Scanned with CamScanner

उतना आधुनिक चिंतक भी नहीं हुए हैं, क्योंकि आधुनिक काल में अबतक राज्य की 140 से अधिक परिभाषाएं दी गई हैं एवं किसी भी एक परिभाषा पर विद्वानों में मतैक्य नहीं हो पाया है।

Dr. Akhlakh Ahmad
(Asst. Prof.)
Dept. of Pol. Sc.
D.K. College, Dumraon

Scanned with CamScanner